UPEW010014962026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या– 1, इटावा।

उपस्थित : अखिलेश कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code :UP6281

द्वितीय प्रतिभू प्रार्थनापत्र संख्या–450/2026

अतुल कुमार उर्फ जीतू, उम्र 21 वर्ष, पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम सन्तोषपुर घाट, थाना–बसरेहर, जनपद इटावा।

..........आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य

..........अभियोजन।

मुकदमा अपराध सं.–04/2026 धारा–3(5),103(1) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम। थाना–बसरेहर, जिला इटावा।

दिनांक–07.03.2026

1– आवेदक/अभियुक्त अतुल कुमार उर्फ जीतू की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र थाना बसरेहर जनपद इटावा में मु०अ०सं०–04/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 3(5) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रविन्द्र कुमार द्वारा थाना बसरेहर में दिनांक 13.01.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका एकलौता पुत्र कल दिनांक 12.01.2026 को अपने दोस्त अंकित निवासी ग्राम नगला वल्लभ के यहाँ उसकी बर्थडे पार्टी मे घर से समय करीब चार बजे शाम को गया था, जहां पर मौजूद अतुल निवासी ग्राम सन्तोषपुर घाट के रहने वाले से पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर मेरे पुत्र कृष्णा यादव उर्फ एलिस से कहासुनी हो गयी। कहासुनी के दौरान अतुल ने मेरे पुत्र को जान से मारने की धमकी देता हुआ, वहाँ से चला गया, कुछ समय बाद अतुल अपने एक दोस्त जिसका नाम पता अज्ञात, के साथ मोटरसाइकिल पर वापस सिरसा रोड चम्पानेर तिराहे पर आया और मेरे पुत्र के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जो कि गोली मेरे पुत्र उक्त को लगी। गोली मारकर मेरे पुत्र की हत्या कर दी, जिससे मेरे पुत्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र महेन्द्र सिंह पाल में कथन किया गया है कि आवेदक को उपरोक्त मुकदमा में झूठा फंसाया गया

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2026.03.07 16:20:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है, वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 11 घण्टे देरी से लिखायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नही दर्शाया गया है, जबकि थाने से घटनास्थल की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। आवेदक को पुलिस उसके ननिहाल ग्राम उरेंग थाना बकेवर से पूछतांछ हेतु लायी थी, उपरोक्त प्रकरण में फर्जी गिरफ्तारी की स्टोरी प्लांट कर उक्त मुकदमा में नामित किया गया। उपरोक्त मामले में घटना का समय अंकित नही और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनाया गया है। साक्षी अंकित एवं साक्षी दीपांशु के बयान विवेचक ने अंकित किये, उक्त बयानों में दोनों साक्षियों ने गोली मारते किसी को नही देखा है, बताया है। आवेदक दिनांक 13.01.2026 से कारागार में निरूद्ध है। उपर्युक्त आधारों पर उनके द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क किया गया है कि अभियुक्त पर सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र को गोली मारकर हत्या कारित करने का अभियोग है। अभियुक्त के विरुद्ध नामित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना एवं अभियोजन द्वारा सम्यक रूप से प्रस्तुत केस डायरी एवं अन्य पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– सुना व केस डायरी का अवलोकन किया। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त अतुल व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 12.01.2026 को अपने पुत्र के दोस्त अंकित ग्राम नगला वल्लभ की बर्थडे पार्टी में मौजूद अभियुक्त अतुल से किसी बात को लेकर कहासुनी होने तथा अज्ञात के साथ चम्पारेन तिराहे पर गोली मारकर हत्या करने का अभिकथन किया है। दिनांक 13.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अतुल कुमार उर्फ जीतू को अज्ञात सह–अभियुक्त के साथ भदामई पुल से करीब 800 मीटर ग्राम पत्ता पुरा की तरफ नहर पटरी से पुलिस मुठभेड़ में समय 07.40 बजे सुबह गिरफ्तार करना बताया गया है, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद देशी तमंचा 315 मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया जाना बताया गया है। फर्द बरामदगी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अतुल कुमार उर्फ जीतू ने बताया कि मैं कल दिनांक 12.01.2026 को शाम करीब 05.30 बजे ग्राम सिरसा से चम्पारेन तिराहे के पास अंकित जो कि मेरा दोस्त है, नगला वल्लभ जन्मदिन मनाने गया था। वहीं पर मेरा एलेस यादव उर्फ कृष्णा निवासी झिंदुआ के साथ झगड़ा हो गया था, उसके बाद मैं अपने घर गया। घर से तमंचा लेकर अपने चचेरे भाई पंकज पुत्र शिवनाथ को लड़ाई के बारे में बताया और उसे एच.एफ. डीलक्स मोटरसाइकिल चलाने को कहा और मैं तमंचा लेकर पीछे बैठ गया। इसी मोटरसाइकिल से हम दोनों लोग चम्पारेन तिराहे पर आये और मैंने मोटरसाइकिल से उतरकर वहाँ पर खड़े एलिस यादव उर्फ कृष्णा के गोली मार दी और गोली मारने के बाद पंकज के साथ पीछे मोटरसाइकिल में बैठकर भाग गया था। इस प्रकार अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पुत्र की चम्पारेन तिराहे पर गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व की फायर आर्म इंजरी छाती के बांयी ओर आना बताया गया है और मृतक की मृत्यु Shock and Hemorrhage एंटीमोर्टेम फायर इंजरी से होना बताया गया है। अभियुक्त के सह–अभियुक्त की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है।

7– अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का हकदार नही है, तद्नुसार द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **अतुल कुमार उर्फ जीतू** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–450/2026, मु०अ०सं०–04/2026, अंतर्गत धारा–103(1),3(5) बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना–बसरेहर, जिला इटावा मे प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अखिलेश कुमार)
दि०–07.03.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, इटावा।
J.O. Code–UP6281